भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 279
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

आरक्षित रिक्तियां

279. श्री राजमणि पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायधीशों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कोई कार्रवाई की जा रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायधीशों की संख्या **उपाबंध-1** पर हैं।

(ख) : न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य-वार रिक्त पदों की संख्या **उपाबंध-2** पर है ।

(ग) और (घ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती हैं । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध हैं, कतिपय राज्यों में इसे संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इसे उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करते हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और चयन में संविधान के अधीन संघ सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में 4

जनवरी, 2007 के अपने आदेशों में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा विरचित की है जो यह अभिनिर्धारित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया किसी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को प्रारम्भ और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर को समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तनों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों की अनुपालना में न्याय विभाग ने मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को अग्रेषित की है । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को मलिक मजहर मामले द्वारा आज्ञापित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु समय-समय पर लिख रहा है ।

****

उपाबंध-1

आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 279 जिसका उत्तर 03.02.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

28.01.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायधीशों के कार्यरत पद

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला न्यायाधीश/डीजे	जिला न्यायाधीश/डीजे	जिला न्यायाधीश/डीजे
		अनु.जा	**अनु.जन.जा**	**अ.पि.व.**	**अनु.जा**	**अनु.जन.जा**	**अ.पि.व.**	**अनु.जा**	**अनु.जन.जा**	**अ.पि.व.**
1.	आंध्र प्रदेश	42	15	93	23	9	50	19	1	43
2.	दिल्ली	54	6	0	14	2	0	8	1	0
3.	कर्नाटक	76	11	125	48	8	127	54	9	81
4.	राजस्थान	87	66	105	37	30	68	43	20	83
5.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	जम्मू और कश्मीर	7	9	2	5	6	3	8	5	0
7.	दादर और नागर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.	गोवा	0	2	0	0	0	1	0	0	1
10.	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	0	9	0	0	9	1
11.	तेलंगाना	40	22	100	11	7	35	14	7	57
12.	महाराष्ट्र	140	2	266	43	3	128	44	2	106
13.	मेघालय	0	20	0	0	14	0	0	12	0
14.	सिक्किम	0	2	2	0	1	5	0	4	6
15.	गुजरात	58	2	41	46	3	142	10	0	41
16.	लद्दाख	0	4	0	0	2	0	0	0	0
17.	असम	15	22	0	7	16	0	0	0	0
18.	मणिपुर	1	5	7	2	4	5	1	4	0
19.	त्रिपुरा	5	11	0	4	5	0	3	6	0
20.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	बिहार	115	9	254	64	5	22	38	1	54
23.	चंडीगढ़	2	0	3	0	0	0	0	0	0
24.	छत्तीसगढ़	23	56	29	20	30	13	25	27	36
25.	हरियाणा	38	0	35	26	0	16	22	0	16
26.	हिमाचल प्रदेश	7	4	5	8	2	4	7	2	2
27.	झारखंड	26	61	34	0	0	0	0	0	0
28.	केरल	21	1	97	9	0	53	7	0	97
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0	0	0	1
30.	मध्य प्रदेश	104	91	109	69	84	57	60	59	87
31.	मिजोरम	0	16	0	0	13	0	0	13	0
32.	ओडिशा	17	0	52	0	0	0	0	0	0
33.	पुडुचेरी	0	0	4	0	0	0	0	0	4

34.	पंजाब	79	0	45	38	0	20	29	0	18
35.	तमिलनाडु	121	5	376	58	3	227	46	1	215
36.	उत्तर प्रदेश	193	14	272	155	11	191	155	7	360
37.	उत्तराखंड	20	4	16	14	3	12	13	9	11
कुल		**1291**	**473**	**2073**	**701**	**271**	**1180**	**606**	**199**	**1321**

उपाबंध-2

आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 279 जिसका उत्तर 03.02.2022 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

28-01-2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की जिले-वार स्थिति				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**कुल स्वीकृत पद संख्या**	**कुल कार्यरत पद संख्या**	**कुल रिक्ति**
1	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	491	116
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	467	436	31
5	बिहार	1954	1394	560
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छत्तीसगढ़	482	409	73
8	दादर और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	884	692	192
11	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1523	1126	397
13	हरियाणा	772	482	290
14	हिमाचल प्रदेश	175	160	15
15	जम्मू - कश्मीर	300	240	60
16	झारखंड	675	523	152
17	कर्नाटक	1363	1087	276
18	केरल	569	488	81
19	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1552	469
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपुर	59	42	17
24	मेघालय	97	49	48
25	मिजोरम	65	42	23
26	नागालैंड	34	24	10
27	ओडिशा	976	785	191
28	पुडुचेरी	26	11	15
29	पंजाब	692	607	85
30	राजस्थान	1549	1274	275
31	सिक्किम	28	20	8
32	तमिलनाडु	1316	1082	234
33	तेलंगाना	474	424	50
34	त्रिपुरा	121	97	24
35	उत्तर प्रदेश	3634	2542	1092
36	उत्तराखंड	299	271	28
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24514**	**19341**	**5173**

****